

## तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच गतरिोध

### प्रलिमिंस के लयि:

आंध्र प्रदेश पुनरगतन अधनियिम 2014, सर्वोच्च न्यायालय, केंद्र सरकार की भूमिका ।

### मेन्स के लयि:

तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच गतरिोध, अंतरराज्यीय वविाद ।

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में आंध्र प्रदेश ने **आंध्र प्रदेश पुनरगतन अधनियिम, 2014** के तहत संपत्त और देनदारियों के "न्यायसंगत, उचित एवं समान वविाजन" की मांग करते हुए **सर्वोच्च न्यायालय** के समक्ष याचिका दायर की है ।

## पृष्ठभूमि:

- 2 जून, 2014 को आंध्र प्रदेश के उत्तर-पश्चिमी हस्से को अलग कर **तेलंगाना के रूप में 29वें राज्य का गठन कया गया** ।
- राज्य पुनरगतन अधनियिम (1956) के माध्यम से हैदराबाद राज्य के तेलुगू भाषी कषेत्रों को आंध्र प्रदेश राज्य के साथ वलिय कर** वसितृत आंध्र प्रदेश राज्य का नरिमाण कया गया ।
- आंध्र प्रदेश पुनरगतन अधनियिम (2014)** ने आंध्र प्रदेश को दो अलग-अलग राज्यों अरथात् आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में वविाजति कया ।
- अवविाजति आंध्र प्रदेश के वविाजन के आठ वर्ष से अधिक समय के बाद भी दोनों राज्यों के बीच संपत्त और दायतित्वों का आवंटन अस्पष्ट बना हुआ है क्योंकि प्रत्येक राज्य **आंध्र प्रदेश पुनरगतन अधनियिम 2014** के प्रावधानों की व्यक्तगत व्याख्या लागू करता है ।

## संबंधति मुद्दे:

- 12 संस्थानों का अधनियिम में उल्लेख नहीं कया गया है:**
  - इस नरिगम में 245 संस्थान शामिल हैं जिनकी कूल स्थायी संपत्त का मूल्य 1.42 लाख करोड़ रुपए है ।
  - अधनियिम की अनुसूची IX के अंतरगत **91 संस्थान और अनुसूची X के अंतरगत 142 संस्थान हैं** ।
  - अधनियिम में उल्लिखित अन्य 12 संस्थाओं का वविाजन भी **राज्यों के बीच वविादास्पद** बना हुआ है ।
- संपत्त और देनदारियों के वविाजन में देरी:**
  - आंध्र प्रदेश ने खेद व्यक्त कया कि तेलंगाना सरकार ने शीला भडि की अध्यक्षता वाली वशिषज्ज समति द्वारा दी गई सफारिशों को चुनदा रूप से स्वीकार कर लया था, जिसके परिणामस्वरूप संपत्त और देनदारियों के वविाजन में देरी हुई थी ।
    - समति ने अनुसूची IX के 91 संस्थानों में से 89 के वविाजन के संबंध में सफारिशें की हैं ।
  - आंध्र प्रदेश का तर्क है कि वविाजन की प्रक्रया में तेज़ी लाने और इन संस्थानों के वविाजन को अंतिम रूप देने के लयि सफारिशों को जल्दबाज़ी में स्वीकार कर लया गया ।
- संपत्त के बंटवारे को लेकर वविाद:**
  - मुख्यालय की संपत्तियों का हस्सा न बनने वाली संपत्तियों के वविाजन को लेकर वशिषज्ज समति की सफारिशों को तेलंगाना सरकार ने आलोचना करते हुए कहा कि यह पुनरगतन अधनियिम की भावना के खिलाफ है ।

## केंद्र की भूमिका:

- गृह मंत्रालय (MHA) ने वर्ष 2017 में मुख्यालय परसंपत्तियों के बारे में स्पष्टता प्रदान की ।
- एक एकल व्यापक राज्य उपकरम (जसिमें मुख्यालय और परचालन इकाइयाँ शामिल हैं) जो वशिष रूप से एक स्थानीय कषेत्र में स्थति है या इसका संचालन एक स्थानीय कषेत्र में सीमति है, के मामले में गृह मंत्रालय का कहना है कि **इसे पुनरगतन अधनियिम की धारा 53 की उप-धारा (1) के अनुसार स्थान के आधार पर वविाजति कया जाएगा** ।

- अधुनियुड केंदुर सरकलर कुल आवशुडकतल डडने डर हसुतकुषेड करुने कल अधकलर देतल है ।

नलतः

- सरवुओओ नुडलडललड अडने डूल अधकलर कुषेडुर डें रलडुडुं के डीओ ववलदुं कल नरुणड करतल है ।
  - संवधलन के अनुओओेद 131 के अनुसलर, डलरत सरकलर और एक डल अधकल रलडुडुं के डीओ डल डलरत सरकलर और कसुडल डी रलडुडुं के डीओ डल दे से अधकल रलडुडुं के डीओ कुओडु डी ववलद सरवुओओ नुडलडललड कल डूल अधकलर कुषेडुर है ।
- संवधलन के अनुओओेद 263 के तहत अंतुररलडुडुड डरडुड से ववलदुं डर डुओतलओ और सललल देने, सडुी रलडुडुं के सलडलनुड वडुडुं डर ओरुओ करुने और डेहतर नीतल सडनुवड हेतु सडुलरशुं करुने कुल अडेकुषल कुल डलतुल है ।

## अंतुररलडुडुड ववलदुं कुल सुलडुडलने हेतु डहलः

- संवधलन दुवलरल अंतुररलडुडुड डरडुड कुल डुरदलन उतुतरदलडतुतुवुं (अंतुररलडुडुड ववलदुं के सडलधलन के संदरुड डें) कुल केवल कलडुडुं डें नहुल डलकुड वलसुतवकलतल डें डुरल करुने कुल आवशुडकतल है ।
  - इसुल तरह सलडलडकल और आरुथकल डुडुनल, सुलडल ववलद, अंतुर-रलडुडु डरवडहन आदल से संडुंधतल डुरतुडेक कुषेडुर डें रलडुडुं कुल ओनुतलडुडुं के संदरुड डें ओरुओ करुने हेतु कुषेडुरीड डरडुडुं कुल डडुडुत करुने कुल आवशुडकतल है ।
- डलरत ववलधलतल डें एकतल कल डुरतुडक है । हललुंक इस एकतल कुल और डडुडुत करुने के लडुडु केंदुर एवरलडुडु सरकलरुं दुनुं कुल सहकलरी संघवलद के लुकलओलर कुल आतुडसलत करुने कुल आवशुडकतल है ।

## UPSC सवललल सेवल डरुीकुषल, वडलत वरुष के डुरशुन

डुरशुन. केंदुर और रलडुडुं के डीओ ववलदुं कल डुसलल करुने के लडुडु डलरत के सरवुओओ नुडलडललड कुल शकुतलकलसलके अंतुरगत है? (2014)

- (a) सलललहकलर कुषेडुरलधकलर
- (b) अडुडुलीड कुषेडुरलधकलर
- (c) डूल अधकलर कुषेडुर
- (d) रतल कुषेडुरलधकलर

उतुतरः (c)

[सरुलतः द हदुडु](#)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/stalemate-between-telangana-and-ap>